HIC

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

16-01-2014 **श्री संजीव सिन्हा,** पिता–डा0 पी0आर0एन0 सिन्हा, सा0–4H/20, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी, थाना–अगमकुआँ, जिला–पटना द्वारा एक पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–737/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–16.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Associate Professor, Deptt. of Civil Engg., NIT, Patna हैं। उनके घर पर चोरी की घटना घटी है, जिसके संदर्भ में अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध अगमकुआँ थाना कांड सं0–457/380 भा0द0वि0 दर्ज है। उनके नाम पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–476/04 प्राप्त है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–664/गो0, दिनांक–27.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, अगमकुआँ के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, अगमकुआँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे Associate Professor, Deptt. of Civil Engg., NIT, Patna हैं। उनके घर पर चोरी की घटना घटी है, जिसके संदर्भ में अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध अगमकुआँ थाना कांड सं0–457/380 भा0द0वि0 दर्ज है। उनके नाम पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–476/04 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक द्वारा अपने जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का

सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री संजीव सिन्हा, पिता–डा0 पी0आर0एन0 सिन्हा, सा0–**4H/20,** बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी, थाना–अगमकुआँ, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।